बिन्धयाभाटा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 5411/1 में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 54/2019
दायर दिनांक :– 16.07.2019

अनवान

1. श्री नजीर मोहम्मद पिता अलानूर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर
2. श्री बशीर मोहम्मद पिता अलानूर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर
3. श्री सद्दीक मोहम्मद पिता अलानूर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर
4. श्री यासीन मोहम्मद पिता अलानूर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर
5. श्रीमति जेतुन बानू पुत्री अलानूर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. श्री फोरू पिता गणपत लाल मीणा नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
2. श्री महादेव पिता गोदू मीणा नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
3. श्री अशोक पिता फोरू मीणा नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
4. श्री शंकर पिता फोरू मीणा नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
5. श्री बालु पिता घीसु मीणा नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 92ए आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री रितेश कांटिया, वकील वादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 16.12.2019

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम भगता की झुपडिया प0 ह0 बिन्ध्याभाटा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 5408 रकबा 3.00 बीघा, आ.न. 5411/1 रकबा 1.15 बीघा कुल किता 2 रकबा 04.15 बीघा भुमि खातेदारी से वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर वादीगण निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर हर साल लगान जमा कराता आ रहा हैं। उक्त भुमि के प्रतिवादीगण पडोसी है जो लडाकू खूखांर प्रवृत्ति के हैं जो अपनी शक्ति के बल पर उक्त वादी की भुमि को छीनना चाहते है। व वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते रहते है। दिनांक 13.07.2018 को वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि पर पत्थरगढी की जाकर वादीगण के हिस्से एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि की सीमा में पत्थर गाडे गये। वादी की कृषि भुमि के प्रतिवादीगण पडौसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के हैं प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.06.19 को वादीगण के कब्जेकाश्त की कृषि भूमि की सीमा में लगे सीमाज्ञान के पत्थरो को उखाड दिया तथा वादी सं. 1 उस समय मौके पर था जिसने प्रतिवादीगण को सीमा पर गडे पत्थरों को उखाडने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने वादी सं. 1 को मां बहनो की बुरी बुरी गालिया निकाली तथा वादी सं. 1 को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया व धमकी दी की हम इस जमीन

उपखण्ड अधिकारी

पर कब्जा करेगे। यदि मना किया तो तुम्हे व तुम्हारे पुरे परिवार वालो के हाथ पैर तोड देगे। तथा सारे परिवार को छुआछुत के मामले मे ऐसा उलझायगे की जमानत भी नही होगी। यदि आप वादीगण का अपनी भूमि पर जबरदस्ती वापिस काबिज हो जाओंगे तो प्रतिवादीगण छुआछुत व जातिगत झुठे मुकदमें लगायेगे। प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजी नं. 5411/1 रकबा 1 बीघा भूमि में जबरन शक्ति के बल पर कब्जा कर लिया है वादीगण ने विरोध किया तथा प्रतिवादीगण को कब्जा नही करने बाबत कहा किन्तु प्रतिवादीगण नही माने और धमकिया दी तथा कब्जा छोडने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण राजनैतिक पहुच व पैसे वाले व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है तथा आये दिन वादीगण से लडाई झगडा करते हैं तथा वादीगण के खिलाफ आये दिन न्यायालय थाने मे झुठे मुकदमें दर्ज करवाने की धमकिया देते रहते हैं दिनांक 20.06.19 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में करवाई गई पत्थरगढी के स्थायी सीमा चिन्ह के पत्थर को उखाडने व एक बीघा कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिये जाने से वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि को शक्ति के बल जबरदस्ती नाजायज रूप से छीनना चाहता है। और वादी को बेदखल करना चाहता है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। इसलिये वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी स्वय अथवा अपने नौकरों ऐजेन्टों या परिवाजनों के माध्यम से वाद पत्र में वर्णित भुमि के शांति पुर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे, न करावे न वादी को बेदखल करें न करावे न कब्जा करने की कोशिश करे। ग्राम भगता की झुपडिया प0 ह0 बिन्ध्याभाटा में स्थित कृषि आ0 स0 5411/1 में से प्रतिवादीगण का जितनी भूमि पर कंब्जा पाया जावे उससें प्रतिवादीगण को बेदखल करवाया जाकर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजदु सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2071 से 2074, तथा पत्थरगढी का मौका पर्चा की नकल की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली किये गयें। वकील वादीगण द्वारा नजीर मोहम्मद पी.डब्ल्यु 1, अब्दुल गफफार पी. डब्ल्यु 2, फजलू रहमान पी. डब्ल्यु 3 के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर शक्ति के बल पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। पत्थरगढी कराई गई जिसके पत्थर उखाड कर फेक दिये गये। एवं कब्जा कर लिया गया। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। मैने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2071–74 से होती है। वादी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी करवाई गई। जिसका वादीगण द्वारा पत्थरगढी मौका पर्चा प्रस्तुत किया गया है। जो पत्रावली में संलग्न है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादीगण कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम भगता की झुपडिया प0 ह0

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

बिन्धयाभाटा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 5411/1 में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखंलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

1. श्री नजीर मोहम्मद पिता अलानूर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर
2. श्री बशीर मोहम्मद पिता अलानूर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर
3. श्री सद्दीक मोहम्मद पिता अलानूर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर
4. श्री यासीन मोहम्मद पिता अलानूर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर
5. श्रीमति जेतुन बानू पुत्री अलानूर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर

वादीगण.........

बनाम

1. श्री फोरू पिता गणपत लाल मीणा नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
2. श्री महादेव पिता गोदू मीणा नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
3. श्री अशोक पिता फोरू मीणा नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
4. श्री शंकर पिता फोरू मीणा नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर
5. श्री बालु पिता घीसु मीणा नि. भगता की झुपडिया तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – **183, 92ए आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 54/2019

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री रितेश कांटिया का मिनजानिब मुदई व श्री का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम भगता की झुपडिया प0 ह0 बिन्धयाभाटा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 5411/1 में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखंलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

c@rider/dikri

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 12:22:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: